उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर अधिनियम, 2012

[उत्तराखण्ड अधिनियम सं० ०९ संख्या २०१३]

अनुक्रमणिका

घाराएं	विवरण	पृष्ठ संख्य
1	2	3
	अध्याय—1	
	प्रारम्भिक	
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्म	2
2.	परिभाषाएं	23
	अध्याय—2	_ •
	प्रस्तावना	•
3.	सामान्य	3
	अध्याय—3	<u> </u>
	जल विद्युत उत्पादन इकाई के स्थापन द्वारा जल का उपयोग	
4.	जल के उपयोग हेतु योजना का संस्थापन	34
5 .	उपयोगकर्ता द्वारा जल के उपयोग हेतु स्वीकृत योजना का जमा किया जाना	4
6 .	योजना की स्वीकारोक्ति	4
7.	उपयोगकर्ता को सूचना	4
8.	योजना के संस्थापन का निषेध	4
9.	जल के उपयोग हेतु पंजीकरण	4
10.	रजिस्ट्रीकृत प्रमाण-पत्र प्रदान करना	4
11.	रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता हेतु कुछ निषेध	5
12.	रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के कर्तव्य, दायित्व और उत्तरदायित्व	· 5
13.	ं नियंत्रण एवं सुरक्षा प्राविद्यान	5- 6
•	अध्याय—4	
	उपयोगकर्ता द्वारा लिए जाने वाले जल का निर्धारण	
14.	उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल का निर्धारण	6
15.	प्रवाह मापन उपकरण या किसी अन्य फिटिंग को क्षतिग्रस्त करना	6
16.	जल प्रवाह मापन के उपकरणों में धोखाधड़ी	67
	अध्याय–5	
	जल कर	
17.	जल कर का नियतन	7
18.	जल कर की वसूली	7
19.	निर्धारण हेतु प्रक्रिया	7
		-

3	

अध्य	य—6	

विद्युत उत्पादन पर जल कर के लिए उत्तराखण्ड राज्य खायोग			
20.	आयोग की स्थापना	7-8	
21.	आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं	8-9	
22 .	सर्च समिति का गठन	9	
23.	पद की अवधि और सेवा की शर्तें	9-10	
24.	अध्यक्ष अथवा सदस्य को हटाया जाना	10—11	
25 .	आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी	11	
26.	आयोग के कृत्य	11	
27 .	आयोग की शक्तियां	12	
28.	आयोग के समक्ष प्रक्रिया	12	
29.	प्रवेश और जब्त करने की शक्ति	12	
3 0.	प्रतिनिधायन	13	
31.	उच्च न्यायालय को अपील	13	
32 .	आयोग के निर्देशों की अवज्ञा के लिए दण्ड	13	
33.	न्याय निर्णयन की शक्ति	13-14	
34.	न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा ध्यान में रखने योग्य कारक	14	
35.	अन्य दायित्वों पर दण्ड प्रभावहीन	14	
36 .	सरकार द्वारा अनुदान और ऋण	14	
37 .	सरकार द्वारा निधि की स्थापना	14-15	
38.	आयोग के लेखे	15	
39.	आयोग की वार्षिक रिपोर्ट	15	
40.	आयोग का बजट	15	
41.	सरकार द्वारा निर्देश	1516	
42 .	सद्भाव में की गई कार्यवाही का संरक्षण	16	
43.	सदस्य, अधिकारी इत्यादि जन सेवक होंगे	16	
44.	अधिनियम के उपबन्ध अन्य विधियों के अतिरिक्त है न कि उनके अलगीकरण में	16	
45.	सरकार की नियम बनाने की शक्ति	16-17	
46.	आयोग की विनियम बनाने की शक्तियाँ	17	
47.	नियमों और विनियमों को विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना	17	
48.	कठिनाईयाँ दूर करने की शक्ति	17	

THE UTTARAKHAND WATER TAX ON ELECTRICITY GENERATION ACT, 2012

[UTTARAKHAND ACT NO. 09 OF 2013]

INDEX

18 18-19
18-19
18-19
18-19
19-20
19-20
19-20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
23
23
23
_

	_
	4
	~

CHAPTER 6

2

STATE COMMISSION FOR WATER TAX ON

ELECTRICITY GENERATION

20.	Establishment of Commission	23-24
21.	Qualifications for appointment of Chairperson and Members of the Commission	24-25
22.	Constitution of a search Committee	25
23.	Term of Office and Conditions of Service	26-27
24.	Removal of Chairperson or Member	27
25.	Officers and other Employees of the Commission	27
26.	Functions of the Commission	28
27.	Powers of the Commission	28
28.	Proceedings before Commission	28
29.	Power of entry and seizure	29
30.	Delegation	29
31.	Appeal to High Court	29
32.	Penalty for non-compliance of directions of Commission	29-30
33.	Power to adjudicate	30
34.	Factors to be taken in to account by adjudicating officer	30
35.	Penalty not to effect other liabilities	31
36.	Grants and loans by the Government	31
37.	Establishment of fund by the Government	31
38.	Accounts of Commission	31
39.	Annual Report of the Commission	32
40.	Budget of the Commission	32
41.	Directions by the Government	32
42.	Protection of action taken in good faith	32
43.	Members, officers etc. to be public servants	32
44.	Provisions of the act to be in addition to and not in derogation of other laws	32
45.	Powers of Government to make rules	33
46.	Powers of commission to make regulations	33
47.	Rules and regulations to be laid before the State legislature	34
48.	Power to remove difficulties	34



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क) (उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 28 जनवरी, 2013 ई0 माघ 08, 1934 शक सम्बत्

उत्तराखण्ड शासन

विघायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 32/XXXVI(3)/2013/67(1)/2012 देहरादून, 28 जनवरी, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने अत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर विधेयक, 2012' पर दिनांक 25 जनवरी, 2013 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 09 वर्ष, 2013 के रूप में सर्व—साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर अधिनियम, 2012

जित्तराखण्ड अधिनियम सं0 09 संख्या 2013}

विद्युत उत्पादन पर जल कर अधिरोपित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

अध्याय --1

सामान्य

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त शीर्षक उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर संक्षिप्त नाम, विस्तार अधिनियम, 2012 है। और प्रारम्भ
 - (2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।
 - (3) यह उस तारीख को प्रवृत होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।
 - (4) तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में कोई बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होगें।

परिभाषाएं

- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय अथवा संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-2.
 - (क) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर अधिनियम, 2012 अभिप्रेत है :
 - (ख) "आयोग" से उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर के लिए अधिनियम की धारा 21 के अधीन स्थापित उत्तराखण्ड राज्य आयोग अभिप्रेत है;
 - (ग) ''विद्युत'' से राज्य की सीमान्तर्गत बहने वाले जल से विद्युत उत्पादन अभिप्रेत है:
 - (घ) "सरकार" से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है;
 - (ङ) "अधिसूचना" से राज्य के राजपत्र में अधिसूचित अधिसूचना के अभिप्रेत है और पद ''अधिसूचित'' तद्नुसार किया जायेगा;
 - (च) "उपयोगकर्ता" से विद्युत के उत्पादन के लिये किसी स्रोत से जल लेने की सुविधा के उपभोग को इस अधिनियम के अध्याय दो के अधीन जल लेने वाले अथवा अन्य कोई प्राधिकृत प्राधिकारी के ऐसे व्यक्ति, व्यक्तियों के

समूह, स्थानीय निकाय, राजकीय विभाग, कम्पनी, निगम, सोसाइटी इत्यादि, अभिप्रेत है,

- (छ) "जल" से प्राकृतिक संसाधन यथा नदी, धारा, नहर, नाला या अन्य स्रोत, जिसमें प्राकृतिक रूप से जल का प्रवाह होता हो या तालाब, झील, दलदल, झरना आदि अभिप्रेत है:
- (ज) 'जल स्रोत' से नदी, सहायक नदी, जल धारा, नाला, नहर, झरना, तालाब, झील या अन्य स्रोत अभिप्रेत हैं, जिससे विद्युत उत्पादन हेतु जल उपलब्ध होता है:
- (झ) 'जल कर' से इस अधिनियम के अधीन नियत और विद्युत के उत्पादन के लिए उपयोग किये जाने हेतु अधिरोपित दर अथवा अधिभार अभिप्रेत है।

अध्याय - 2

प्रस्तावना

सामान्य

- (1) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये राज्य में अवस्थित प्रत्येक जल स्रोत राज्य की सम्पित है और किसी व्यक्ति, व्यक्ति समूह या अन्य निकाय, निगम, कंपनी, सोसायटी या समुदाय में निहित ऐसे जल संसाधनों पर कोई तट स्वामित्व या उपयोग का अधिकार, अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से समाप्त करते हुए सरकार में निहित समझा जायेगा। तथापि, अन्तर्राज्यीय स्वभाव की निदयों और अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के दायरे में आने वाली निदयों के संबंध में उत्तराखण्ड सरकार का अधिकार जल के गैर क्षयशील उपयोग तक सीमित रहेगा।
 - (2) कोई भी व्यक्ति, व्यक्ति समूह, सरकारी विभाग, स्थानीय प्राधिकारी, निगम, कंपनी, सोसायटी या अन्य निकाय, सिवाय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य प्रकार से विद्युत उत्पादन हेतु जल का उपयोग नहीं करेगा।

अध्याय - 3

जल विद्युत उत्पादन इकाई के स्थापन द्वारा जल का उपयोग

जल के उपयोग 4. हेतु योजना का संस्थापन कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, सरकारी विभाग, स्थानीय प्राधिकारी, निगम, कम्पनी, सोसाइटी या अन्य निकाय, चाहे वह किसी नाम से जाना जाय (जिसे आगे अध्याय में "उपयोगकर्ता" कहा गया है) इस अध्याय में आगे उपबंधित प्राविधानों के अनुसरण में आयोग के अधीन पंजीकृत के सिवाय

किसी अन्य प्रकार से विद्युत उत्पादन हेतु किसी जल स्रोत के जल के उपयोग (गैर क्षयशील उपयोग) के लिये आवश्यक योजना संस्थापित नहीं करेगा।

उपयोगकर्ता द्वारा जल के उपयोग हेतु स्वीकृत योजना का जमा किया जाना

5.

कोई उपयोगकर्ता, जो विद्युत के उत्पादन के प्रयोजन हेतु जल के उपयोग (गैर क्षयशील उपायोग) की आवश्यकता के लिये योजना संस्थापित करना चाहता हो वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत, योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत करेगा जिसके साथ पंजीकरण हेतु आयोग द्वारा नियत शुल्क और अधिभार संलग्न किया जायेगा।

योजना की स्वीकारोक्ति 6. किसी उपयोगकर्ता से योजना प्रारूप प्राप्त करने के पश्चात् आयोग अधिनियम के अधीन योजना को स्वीकार किये जाने के लिये विचार करेगा।

उपयोगकर्ता को सूचना

- 7. धारा 6 के अधीन जल आयोग द्वारा योजना स्वीकार कर लेने के पश्चात् आयोग योजना को पंजीकृत करेगा और उपयोगकर्ता को सूचित करेगा कि वह-
 - (क) निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से आयोग के साथ करार करें, और
 - (ख) अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन निर्धारित शुल्क और जल कर का भुगतान करें।

योजना के संस्थापन का निषेध धारा 10 की अपेक्षाओं का पालन किये बिना जल के उपयोग आवश्यकता हेतु कोई उपयोगकर्ता योजना संस्थापित नहीं करेगा।

जल के उपयोग हेतु पंजीकरण

9. कोई व्यक्ति जल का अपेक्षित उपयोग अथवा जल का किसी अन्य रीति से उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह धारा 10 के अधीन रिजस्ट्रीकरण हेतु इसके लिये प्राधिकृत न हो।

रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र प्रदान करना

10.

विद्युत उत्पादन हेतु जल के उपयोग (गैर क्षयशील उपयोग) के इच्छुक व्यक्ति को अधिनियम के अधीन उपयोगकर्ता और आयोग के मध्य करार हो जाने के पश्चात् एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता हेतु कुछ निषेध

- 11. कोई भी रंजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता राज्य जल आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना—
 - (क) किसी अन्य उपयोगकर्ता की कंपनी को कय द्वारा अधिग्रहीत करने या अन्यथा प्राप्त करने के लिये लेनदेन नहीं करेगा; या
 - (ख) अपनी उपयोगिता का किसी अन्य उपयोगकर्ता की उपयोगिता के साथ विलयन नहीं करेगा।

रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के कर्तव्य, दायित्व और उत्तरदायित्व

- 12. (1) रिजस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता अधिनियम के उपबंधों के अनसार विद्युत उत्पादन के लिये जल के उपयोग हेतु जल कर का भुगतान करने का दायी होगां
 - (2) जहां अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से किसी उपयोगकर्ता ने जल विद्युत योजना का निर्माण किया है वहां ऐसा उपयोगकर्ता, अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथ से छः माह के भीतर, अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करेगा तथा आयोग, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आवेदन प्राप्ति की तिथि से छः माह की अविध के भीतर उपयोगकर्ता को रिजस्ट्रीकरण करने के लिये आदेश पारित करेगा।
 - (3) यदि उपयोगकर्ता, उपधारा (2) में उल्लिखित आवेदन करने में या नियत समय में रिजस्ट्रीकरण में विफल रहता है तो आयोग तत्काल उपयुक्त दंड अधिरोपित करेगा जिसे निरन्तर चूक होने पर बढ़ाया जा सकेगा।
 - (4) प्रत्येक रिजस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता, योजना के प्रचालन के अधीन क्षेत्र के निवासियों के जीवन और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के दायित्व के अधीन होगा।
 - (5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता किसी भी समय योजना क्षेत्र के भीतर प्रवेश हेतु प्राधिकारी या अन्य अधिकारियों को उनकी संतुष्टि हेतु अनुमित देने के लिये आबद्ध होगा।
- नियंत्रण और सुरक्षा 13. (1) आयोग, उपयोगकर्ता को लिखित नोटिस दे कर अपेक्षा कर सकता है कि प्रावधान वह—
 - (क) आयोग की संतुष्टि हेतु प्रकिया के अनुसार तथा आयोग, द्वारा योजना हेतु विनिर्दिष्ट अवधि के अन्तराल में, एक विशेषज्ञ द्वारा आवधिक निरीक्षण करवाये।

- (2) उपयोगकर्ता निम्नलिखित कार्यकलापों के संचालन हेतु आयोग द्वारा इस निमित्त निर्धारित शुल्क व अन्य प्रभारों का आयोग को भुगतान करेंगा—
 - (क) आयोग का इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी का विशेषज्ञ द्वारा आवधिक निरीक्षण;
 - (ख) उपयोगकर्ता की योजना के संबंध में इस धारा के अधीन आयोग द्वारा निष्पादित या निष्पादित करवाये जाने के लिये कोई अन्य कियाकलाप।

अध्याय - 4

उपयोगकर्ता द्वारा लिए जाने वाले जल का निर्धारण

उपयोगकर्ता द्वारा 14. उपयोग किये जाने वाले जल का निर्धारण

- (1) आयोग योजना के परिक्षेत्र के भीतर या विद्युत उत्पादन हेतु उपयोग के जल के मापन के उद्देश्य से आयोग जहां उचित समझें, प्रवाह मापन उपकरण संस्थापित करेगा या करायेगा या उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किये गये जल के निर्धारण हेतु कोई अप्रत्यक्ष तरीका अपना सकेगा।
- (2) आयोग, उपयोगकर्ता के परिक्षेत्र में या उसके स्थल पर या आयोग द्वारा निर्देशित स्थान पर आयोग द्वारा अनुमोदित विशिष्टिताओं के अनुरूप प्रवाह मापन उपकरण लगवायेगा या उपयोगकर्ता से लगवायेगा तथा इसके पश्चात् उस उपयोगकर्ता द्वारा इसके लिये किये गये व्यय को उपयोगकर्ता द्वारा देय जल कर में समायोजन किये जाने का निर्देश दे सकेगा।

प्रवाह मापन उपकरण या किसी अन्य फिटिंग को क्षतिग्रस्त करना

15.

16.

कोई भी व्यक्ति उपकरण या उपकरण की किसी फिटिंग को जानबूझकर कर क्षतिग्रस्त नहीं करेगा या करायेगा।

जल प्रवाह मापन के उपकरणों में धोखाधड़ी

- कोई भी व्यक्ति कपट पूर्वक या बेईमानी से-
- (क) प्रवाह मापन उपकरण के सूचकांक में परिवर्तन नहीं करेगा या आपूर्ति किये गये जल की वास्तविक मात्रा को रिकार्ड करने से नहीं रोकेगा;
- (ख) रिकार्ड करने के उद्देश्य से लगाये गये मापन उपकरण द्वारा रिकार्ड किये जाने से पहले जल प्राप्त नहीं करेगा;
- (ग) मापन उपकरण से छेड़छाड़ नहीं करेगा या छेड़छाड़ किये गये उपकरण को संस्थापित नहीं करेगा; या

(घ) किसी ऐसे अन्य उपकरण या तरीके का उपयोग नहीं करेगा जो आपूर्ति किये गये जल के सही व उचित अंकन, अंश शोधन या मीटरिंग में व्यवधान डालता हो।

अध्याय - 5

जल कर

जल कर का नियतन

- 17. (1) उपयोगकर्ता ऐसी दर से जैसा सरकार इस हेतु अधिसूचना द्वारा नियत करें, जल कर का भुगतान किये जाने हेतु दायी होगा।
 - (2) इस धारा के अधीन निर्धारित जल कर की राज्य सरकार समय-समय पर जैसा वह उचित समझे इस धारा के अधीन नियत जलकर की दरों को परिवर्धित, बढ़ा, घटा अथवा अन्तर कर सकेगी।

जल कर की वसूली

18.

विद्युत उत्पाद्रन के लिये उपयोगकर्ता जब कभी जल निकाला जायेगा, आयोग द्वारा प्रत्येक उपयोगकर्ता से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार जल कर की वसूली की जायेगी।

निर्घारण हेतु प्रकिया

- 19. (1) विद्युत उत्पादन के लिये उपयोगकर्ता द्वारा निकाले गये जल का निर्धारण और उसके जल कर की संगणना आयोग द्वारा की जायेगी।
 - (2) उपयोगकर्ता, राज्य जल आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपधारा (1) के अधीन निर्धारित रूप में जल कर का भुगतान करेगा।
 - (3) यदि कोई उपयोगकर्ता, उस पर देय जल कर का भुगतान नहीं कर पाता है तो उस पर राज्य जल आयोग द्वारा अवधारित किये अनुसार दंड अधिरोपित किया जायेगा। उपयोगकर्ता को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार विस्तारित अवधि के भीतर जल कर के साथ दंड का भुगतान करना होगा। यदि उपयोगकर्ता विस्तारित अवधि के भीतर जल कर के साथ दंड का भुगतान करने में पुनः विफल रहता है तो देयों की वसूली संबधित जिले के जिला कलेक्टर के माध्यम से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जायेगी।

अध्याय -- 6

विद्युत उत्पादन पर जल कर के लिए उत्तराखण्ड राज्य आयोग

आयोग की स्थापना 20. (1) सरकार, अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से तीन माह के भीतर, अधिसूचना जारी कर अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिये विद्युत उत्पादन पर जल कर के लिए राज्य आयोग ज्ञात नाम से एक आयोग की स्थापना कर सकेगी :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन आयोग की स्थापना होने तक प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई, अधिनियम के अधीन आयोग की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा।

- (2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित आयोग पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा। जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी, इसके पास चल व अचल संपत्ति दोनों के प्राप्त करने, धारण और व्ययन करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी तथा इस नाम से वाद लाया या चलाया जा सकेगा।
- (3) आयोग का मुख्य कार्यालय उस स्थान पर होगा जिस पर अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार निश्चित करें।
- (4) राज्य जल आयोग में एक अध्यक्ष और निर्धारित किये अनुसार अधिकतम दो सदस्य होंगे।
- (5) राज्य जल आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति धारा 22 की उपधारा (1) में संदर्भित चयन समिति की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं

- (1) अध्यक्ष की नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जायेगी, जो राज्य सरकार में सचिव या उससे उच्च पद पर कार्यरत हैं या रहे हैं तथा जिन्हें इन्जीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, विधि प्रशासन या प्रबंधन से संबंधित समस्याओं का पर्याप्त ज्ञान या अनुभव है या जिन्होंने इन समस्याओं से निपटने की क्षमता प्रदर्शित की है।
 - (2) आयोग के सदस्य योग्य, सत्यनिष्ठ और अनुभवी होंगे जिन्हे इन्जीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, विधि प्रशासन या प्रबंधन से संबंधित कठिनाई का पर्याप्त ज्ञान या अनुभव है या जिन्होंने इन कठिनाई से निपटने की क्षमता प्रदर्शित की है:

परन्तु यह कि इन व्यक्तियों में से न्यूनतम एक सदस्य जो मुख्य अभियन्ता स्तर के श्रेणी से नीचे का पद धारण न करता हो अथवा इसके समकक्ष जल विद्युत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अर्हता और अनुभव प्राप्त हो, नियुक्त किया जायेगा;

- (3) आयोग का अध्यक्ष या इसके सदस्य कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेंगे।
- (4) अध्यक्ष, आयोग का मुख्य कार्यपालक होगा।

सर्च समिति का 22. (1) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के उद्देश्य से, सरकार एक तलाश गठन समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित से संरचित होगी:-

(क) मुख्य सचिव

(घ)

- -- अध्यक्ष
- (ख) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन
- सदस्य

सदस्य

- (ग) प्रमुख सचिव / सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन
- सदस्य
- (ड) प्रमुख सचिव / सचिव, विधि, उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख सचिव / सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन

- -सदस्य।
- (2) सरकार, अध्यक्ष या किसी सदस्य के निधन, इस्तीफे या हटाये जाने के कारण रिक्ति होने की तिथि से एक माह के भीतर तथा अध्यक्ष या किसी सदस्य के अवकाश प्राप्ति या कार्यकाल समाप्त होने से छः माह पूर्व, रिक्ति को भरने के लिये सर्च समिति को निर्देश देगी।
- (3) सर्च समिति, निर्देश प्राप्त करने की तिथि से दो माह भीतर अध्यक्ष या सदस्यों का चयन पूर्ण करेगी।
- (4) अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति हेतु किसी व्यक्ति की संस्तुति करने से पूर्व चयन समिति अपनी संतुष्टि करेगी कि उस व्यक्ति का कोई ऐसा वितीय या अन्य हित नहीं है, जिसका अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उस के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

पद की अवधि और 23. (1) अध्यक्ष और सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि से वा की शर्ते हेतु पद धारण करेंगे :

परन्तु यह कि अध्यक्ष या कोई सदस्य 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के पश्चात् पद धारण नहीं करेंगे :

परन्तु यह और की सरकार किसी भी समय लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए सुनवाई का समुचित अवसर देकर अध्यक्ष अथवा सदस्य को तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पूर्व यथासमिति कार्यावधि निर्धारित कर सकती है:

परन्तु यह भी कि सरकार अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य थे जिनकी प्रस्तावित कार्यावधि आदेश द्वारा निर्धारित कर दी गई है, के आदेश को निलम्बित कर सकती है, अथवा यदि सरकार की राय में अध्यक्ष अथवा सदस्य को निलम्बित करने के पर्याप्त और साम्य आधार है।

(2) अध्यक्ष और सदस्यों की वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्ते ऐसी होगी जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय:

परन्तु यह कि अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भते तथा सेवा की अन्य शर्ते नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किये जा सकेगें।

- (3) अपने पद में प्रवेश से पूर्व अध्यक्ष और सदस्य ऐसे निर्धारित प्ररूप पर तथा ऐसी रीति से ऐसे प्राधिकारी के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे, जैसा विहित किया जाय।
- (4) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष या कोई सदस्य न्यूनतग तीन माह का नोटिस सरकार को लिखित में दे कर अपना पद त्याग सकते है।
- (5) इस पद पर न बने रहने वाला अध्यक्ष या कोई सदस्य-
 - (क) उस पद को धारण करना बंद करने की तिथि से दो वर्ष की अविध तक सरकार के अधीन नियुक्ति के लिये योग्य नहीं होगा; और
 - (ख) ऐसे पद को धारण करना बंद करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि हेतु कोई विणिज्यिक रोजगार स्वीकार नहीं करेगा।

अध्यक्ष अथवा सदस्य को हटाया जाना

- (1) सरकार, अध्यक्ष या किसी सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकती है, यदि वह-
 - (क) दिवालिया न्यायनिर्णित कर दिया गया हो; या
 - (ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध दोष हो; या
 - (ग) इस रूप में कार्य करने के लिये शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो. या

. 5

(घ) ऐसे वित्तीय या अन्य हित प्राप्त कर लिये हों जो कि प्राधिकार में उसनें कार्य करने में प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना रखते हों, या (2) जहाँ यह प्रश्न आता हो कि यदि अध्यक्ष अथवा सदस्य अपने दायित्वों का निर्वहन करने में शारीरिक अथवा मानसिक रूप से उपयुक्त न हो अथवा आयोग के कृत्यों में उसका कोई वित्तीय लाभ या अन्य हित निहित हेतु इस विषय में सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा और उसका आदेश अन्तिम होगा।

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

- (1) आयोग का एक सचिव होगा, जो अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन उन शक्तियों का प्रयोग करेगा और उन कर्तव्यों का निर्वाह करेगा जो इस हेतु विहित की जायें।
 - (2) सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जायेगी।
 - (3) अपने कार्यों के निष्पादन में आयोग को सहायता करने के लिये आवश्यक अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, स्वभाव और श्रेणियों, निर्धारित किये अनुसार होंगे।
 - (4) सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते, निर्धारित किये अनुसार होंगी।
 - (5) आयोग निर्धारित की गई शर्तो और निबंधनो पर आयोग के कार्यो में निष्पादन में उसको सहायता करने के लिये, उपयोगकर्ताओ द्वारा लिये गये जल के निर्धारण और अन्य तकनीकी क्रियाकलापों के लिये इन्जीनियर्स तथा अन्य स्टाफ की नियुक्ति करेगा।

आयोग के कृत्य 26.

राज्य जल आयोग निम्नलिखित कार्यो का निष्पादन करेगा; अर्थात् :-

- (क) अधिनियम के अधीन जारी निर्णयों और आदेशों का प्रवर्त्तन करना;
- (ख) जल कर के संबंधित विवादों का न्याय निर्णय करना,
- (ग) शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वाह करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करना:
- (घ) विद्युत उत्पादन हेतु उपयोग में लाये गये जल के प्रर्वतन, नियन्त्रण और मापन हेत् प्रणाली की स्थापना करना;
- (ङ) सरकार द्वारा उस को सौंपे गये या निर्धारित किये गये अन्य कार्यो का निष्पादन करना।

आयोग की शक्तियाँ

- 27. (1) अधिनियम के अधीन कोई जांच करने या कोई कार्यवाही आरम्भ करने के प्रायोजन हेतु आयोग के पास वे ही शक्तियां होगी जो कि निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया सहिता के अधीन सिविल न्यायालय में निहित है; अर्थात :--
 - (क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना:
 - (ख) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने योग्य किसी दस्तावेज या अन्य भौतिक पदार्थ की खोज और प्रस्तुति;
 - (ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना:
 - (घ) किसी सार्वजनिक अभिलेख की अध्यपेक्षा;
 - (ङ) साथियों के परीक्षण हेतु कमीशन जारी करना,
 - (च) अपने निर्णयों, निर्देशों और आदेशों की समीक्षा करना;
 - (छ) कोई अन्य मामला, जो निर्धारित किया जाये।
 - (2) आयोग के पास उसके समक्ष किसी कार्यवाही, सुनवाई या मामले में जैसा वह उचित समझे वैसा अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति होगी।
 - (3) आयोग अपने समक्ष कार्यवाहियों में जिसे उचित समझे ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है।

आयोग के समक्ष · 28. प्रकिया आयोग के समक्ष कार्यवाहियों को न्यायिक—कल्प कार्यवाहियां माना जायेगा तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 के अधीन प्रसाशन के आप्राधिक प्रभाव के प्रयोजनों हेतु आयोग को सिविल न्यायालय माना जायेगा।

प्रवेश और जब्त 29. करने की शक्ति आयोग या कोई अधिकारी जो राजपत्रित अधिकारी से नीचे के पद का न हो तथा जिसे आयोग द्वारा विशेष रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो. ऐसे किसी स्थान पर भवन में प्रवेश कर सकता है, जहां आयोग के पास वड विश्वास करने का कारण हो कि जांच के मामले के विषय से संबंधित दस्तावेज पाया जा सकता है तथा ऐसे किसी दस्तावेज को वह अभिग्रहित कर सकता है या भारतीय दंड संहिता के प्राविधानों के अधीन उसकी प्रतियां निकाल सकता है।

प्रतिनिधायन

आयोग, लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसी शर्ते, यदि कोई है, जो आदेश में विनिर्दिष्ट है, के अधीन अध्यक्ष, किसी सदस्य, सचिव आयोग के किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कार्यों धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन विवादों के न्याय—निर्णय की शक्तियों को छोड़ कर को प्रत्यायोजित कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

उच्च न्यायालय को 31. अपील

30.

- (1) आयोग किसी निर्णय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उच्च-न्यायलय में अपील योजित नहीं है।
 - (2) ऐसे व्यक्ति को ऐसे निर्णय या आदेश द्वारा उस को आयोग के निर्णय या आदेश के संप्रेषण की तिथि से नब्बे दिन के भीतर उपधारा (1) के अधीन अपील करनी होगी।

आयोग के निर्देशों 32. की अवज्ञा के लिए दण्ड

यदि आयोग के समक्ष कोई शिकायत प्रस्तुत होती है कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन कर रहा है अथवा आयोग को उसके द्वारा जारी कोई निर्देश अथवा अधिनियम, नियम अथवा विनियोगों के उपबन्धों का उल्लंघन करने की सन्तुष्टि हो जाती है तो आयोग ऐसे व्यक्ति की समुचित अवसर देते हुए लिखित में आदेश द्वारा किसी अन्य दण्ड के प्रभावित हुए बिना इस अधिनियम के अधीन दण्ड के लिए दायी होगा और ऐसा व्यक्ति दण्ड के रूप में ऐसी राशि को जैसा आयोग द्वारा प्रत्येक उल्लंघन के लिए निर्धारित किया जाय, भुगतान के लिए दायी होगा और ऐसे दण्ड के भुगतान करने तक असफलता के लिए प्रत्येक दिन हेतु आयोग अधिनियम लगा सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

न्याय निर्णयन की 33. शक्ति

- (1) अधिनियम के अधीन न्याय निर्णय के प्रयोजन से राज्य जल आयोग संबंधित व्यक्ति को दंड के अधिरोपण के प्रयोजन से सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् निर्धारित तरीके से जांच करने के लिये अपने किसी सदस्य को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त करेगा।
- (2) जांच करते समय न्याय निर्णायक अधिकारी के पास ऐसे साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये उस मामले व उसके तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को बुलाने और हाजिर करने की शक्ति होगी जो साक्ष्य न्याय

निर्णायक अधिकारी की राय में जांच के मामीले में उपयोगी अथवा सुसंगत हो सकते है, तथा यदि ऐसी जांच में वह इस बात से संतुष्ट हो कि वह व्यक्ति अधिनियम के किसी उपबंध के अनुपालन में विफल रहा है तो वह ऐसा दंड अधिरोपित कर सकता है, जो अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वह उचित समझे।

(3) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश से व्यथित है ऐसे आदेश के उपान्तरण या विखण्डन हेतु राज्य जल आयोग के समक्ष, आदेश तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है:

परन्तु यह कि आयोग यथास्थिति अन्य पक्ष या पक्षों को युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना कोई आदेश पारित नहीं करेगा।

न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा ध्यान में रखने योग्य कारक

34.

35.

- धारा 35 के अधीन दंड की मात्रा अधिनिर्णीत करते समय न्याय निर्णायक अधिकारी निम्नलिखित कारकों का उचित रूप से ध्यान रखेगा :-
- (क) चूक के परिणाम स्वरूप जहां कहीं मात्रात्मक हो वहां गैर आनुपातिक प्राप्ति या अनुचित लाभ की राशि;
- (ख) चूक का पुनरावृत्ति स्वभाव।

अन्य दायित्वों पर दंड प्रभावहीन अधिनियम के अधीन अधिरोपित दंड, प्रतिपूर्ति के भुगतान या उपयोगकर्ता के मामले में उसके पंजीकरण का प्रतिसहरण जो कि अपराधी को हुआ हो, को संबंध में कोई अल्पीकरण न हो कर दायित्व के अतिरिक्त होंगे।

सरकार द्वारा अनुदान और ऋण

- 36. अनुदान, निधियां, लेखे, लेखा परीक्षा और रिपोर्ट राज्य विधान मंडल द्वारा इस निमित्त किये गये उचित विनियोग के पश्चात् सरकार आयोग को उतनी राशि के अनुदान और ऋण प्रदान कर सकती है जितनी सरकार उचित समझे।
- सरकार द्वारा निधि 37. (1) एक निधि की स्थापना की जायेगी, जिसका नाम आयोग निधि होगा की स्थापना निम्नलिखित राशियों को जमा किया जायेगा :--
 - (क) सरकार द्वारा आयोग को दिये गये कोई अनुदान और ऋण;
 - (ख) अधिनियम आयोग द्वारा प्राप्त सभी फीस;
 - (ग) सरकार द्वारा निर्धारित अन्य स्रोतों से राज्य जल आयोग द्वारा प्राप्त सभी

राशियां;

- (2) इस निधि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिये किया जायेगाः
 - (क) आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते
 - (ख) अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के निष्पादन हेतु आयोग के व्यय;
 - (ग) वस्तुओं तथा अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों पर व्यय।
- (3) सरकार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श कर उपधारा के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट व्ययों को पूरा करने के लिये निधि को लागू करने का तरीका निर्धारित कर सकती है।
- आयोग के लेखे 38. (1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सम्बन्धित अभिलेख अनुरक्षित करेगा तथा। लेखे के वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जैसे विहित किया जाय।
 - (2) आयोग के वार्षिक लेखे तथा तुलन पत्र सरकार को अग्रेषित किये जायेगें और राज्य सरकार इसे प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखेगी।
- आयोग की वार्षिक 39. (1) आयोग वर्ष में एक बार निर्धारित प्रपन्न और निर्धारित समय पर पिछले वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा रिपोर्ट की प्रतियां सरकार को प्रेषित की जायेगी।
 - (2) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति यथा शीघ्र संभव हो, राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जायेगी।
- आयोग प्रत्येक वित्त वर्ष में अगले वित्त वर्ष के लिए अपना बजट निर्धारित
 प्रपत्र और निर्धारित समय पर तैयार करेगा, जिसमें आयोग को अनुमानित
 प्राप्तियां और व्यय दिखाये जायेंगे तथा इसे सरकार को अग्रसारित किया
 जायेगा।
- सरकार द्वारा 41. (1) अपने कार्य के निष्पादन हेतु राज्य जल आयोग को जनहित के नीति संबंधी निर्देश मामलों पर समय—समय पर सरकार द्वारा लिखित में दिशा निर्देश दिये जायेंगे।
 - (2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि क्या किसी दिशा निर्देश में जनहित से

संबंधित मामला है या नहीं तो इस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

सदमाव में की गई 42. कार्रवाई का संरक्षण अधिनियम, नियमों या विनियमों के अधीन तात्पार्यित सदभाव में किये गये किसी कार्य के विरूद्ध सरकार या आयोग या सरकार के किसी अधिकारी या आयोग के किसी सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी या जन सेवन पर कोई वाद, अभियोजन या कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जायेगी।

सदस्य, अधिकारी 43. इत्यादि जन सेवक होंगे आयोग का अध्यक्ष, इसके सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कार्य करते हुए या तात्पर्यित कार्य करते हुए भारतीय दंड सहिता 1860 के अधीन लोक सेवक समझे जायेंगे।

अधिनियम के उपबंध 44. अन्य विधियों के अतिरिक्त है न कि उनके अल्पीकरण में इस अधिनियम के उपबंध राज्य में तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अतिरिक्त है न कि उसके अल्पीकरण में।

सरकार की नियम बनाने की शक्ति

- (1) अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिये सरकार, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।
 - (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिन। निम्नलिखित सभी या किसी मामले में उपबंध कर सकेंगे :--
 - (क) वह प्रपन्न और तरीका, जिसमें धारा 7 के खण्ड (ख) के अधीन करार निष्पादित किया जाना है,
 - (ख) आवेदन का प्रपत्र व तरीका और धारा 10 के अधीन पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के लिये भुगतान किये जाने वाला शुल्क;
 - (ग) धारा 23 के अधीन आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन व शर्ते,
 - (घ) धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन वह प्रपन्न और तरीका तथा वह प्राधिकारी जिसके अन्तर्गत व समक्ष अध्यक्ष और सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे;
 - (ङ) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन आयोग के सचिव द्वारा प्रयोग के जाने वाली शक्तियां और निष्पादित किये जाने वाले कर्वव्य;

- (च) धारा 25 के उपधारा (2) के अधीन राज्य जल आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों का संख्या, स्वभाव और श्रेणियां
- (छ) धारा 25 के उपधारा (4) के अधीन आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य निबंधन और शर्ते;
- (ज) धारा 40 के उपधारा (3) के अधीन आयोग निधि को लागू करने का तरीका; और
- (झ) कोई अन्य मामला, जो आवश्यक है या निर्धारित किया जाना है।
- आयोग की विनियम 46. (1) राज्य जल आयोग सामान्य रूप से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के बनाने की शक्तियां लिये अधिसूचना द्वारा अधिनियम से संगत विनियम बना सकते है।
 - (2) अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाये गये सभी विनियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे।
- नियमों और विनियमों 47. को विधान मंडल के समक्ष रखा जाना

शासन द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और आयोग द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम इसके बनने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान मंडल के समक्ष रखा जायेगा।

कठिनाईयां दूर

48. (1) यदि अधिनियम के किसी उपबंध को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई आती है तो सरकार शासकीय गजट में आदेश प्रकाशित कर ऐसे प्राविधान निर्मित कर सकती, है जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई दूर करने के लिये आवश्यक प्रतीत होते हैं:

परन्तु यह कि अधिनियम के आरम्भ होने की तिथि से दो वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात् कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन निर्मित प्रत्येक आदेश इस निर्माण के पश्चात् यथाशीव्र विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

> आज्ञा से, डीo पीo गैरोला, प्रमुख सचिव।

No. 32/XXXVI(3)/2013/67(1)/2012 Dated Dehradun , January 28, 2013

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Water Tax On Electricity Generation Act, 2012' (Adhiniyam Sankhya 09 of 2013).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 25 January, 2013.

THE UTTARAKHNAD WATER TAX ON ELECTRICITY GENERATION ACT, 2012 [UTTARAKHAND ACT NO. 09 OF 2013]

to levy water tax on electricity generation in the State of Uttarakhand

<u>An</u>

Act

be it enacted in the Sixty-third Year of the Republic of India by the Uttarakhand State Legislative Assembly as follows:-

CHAPTER-1 PRELIMINARY

Short Title, Extent and Commencement

1.

- (1) This Act may be called the Uttarakhand Water Tax on Electricity Generation Act, 2012.
 - (2) It extends to the whole State of Uttarakhand.
 - (3) It shall come into force from such date as the State Government may by notification in the Gazette appoint.
 - (4) The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent contained in any other law for the time being in force.

Definitions

- 2. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-
 - (a) "Act" means the Uttarakhand Water Tax on Electricity Generation Act, 2012;

- (b) "Commission" means Uttarakhand State Commission for Water Tax on Electricity Generation established under section 21 of the Act;
- (c) "Electricity" means electrical energy generated by way of water drawn from any water source flowing within the territory of the State;
- (d) "Government" means Government of Uttarakhand;
- (e) "Notification" means a notification published in the Gazette of the State, and the term "notify" shall be construed accordingly;
- (f) "User" means any person, group of persons, local body, Government
 Department, company, corporation, society etc. drawing water or
 any other authority authorized under chapter -II of the Act to avail
 the facility to draw water from any source for generation of
 electricity;
- (g) "Water" means natural resource flowing in any river, stream, tributary, canal, nallah or any other natural course of water or stipulated upon the surface of any land like, pond, lagoon, swamp, spring;
- (h) "Water Source" means a river and its tributaries, stream, nallah, canal, spring, pond, lake, water course or any other source from which water is drawn to generate electricity;
- (i) "Water Tax" means the rate levied or charged for water drawn for generation of electricity and fixed under this Act.

CHAPTER-2 INTRODUCTION

General

3. (1) For the purpose of this Act, every water source in the State is, and shall remain, the property of the Government and any proprietary ownership, or any riparian or usage right, on such water resources vested in any individual, group of individuals or any other body, corporation, company, society or community shall, from the date of commencement of the Act, be deemed to have been terminated and vested with the Government. However, for rivers of interstate nature and rivers under the ambit of international treaties, the ownership right of Uttarakhand Government shall be limited to non-consumptive use of water.

(2) No person, group of persons, Government department, local authority, corporation, company, society or any other body shall draw water from any source for electricity generation except in accordance with the provisions of the Act.

CHAPTER-3 USAGE OF WATER BY INSTALLATION OF HYDROELECTRIC GENERATING UNIT

Installation of 4. Scheme for usage of water

No person, group of persons, Government department, local authority, corporation, company society or any other body, by whatever name called (hereinafter in this Chapter will be called the "user"), shall install a Scheme requiring usage of water (non consumptive use) of any water source for generating electricity except without being registered under the Commission in accordance with the provisions provided hereinafter in this Chapter.

Submission of Sanctioned Scheme for usage of water by the user

5.

6.

8.

Any user intending to install a Scheme requiring usage of water (non consumptive use) for the purpose of generation of electricity shall submit Detailed Project Report of the scheme, duly sanctioned by authority competent to do so in this behalf to the Commission accompanied by such fee and charges as may be fixed by the Commission for registration.

Acceptance of the Scheme

After receipt of the scheme from a user, the Commission shall consider the acceptance of the scheme under this Act.

Information to the User

7. After the scheme is accepted by the Commission under section 6, the Commission shall register the scheme and inform the user to –

- (a) Execute an agreement in such a form and manner with the Commission as may be prescribed; and
- (b) Pay such fee and water Tax as fixed under chapter 4 of this Act.

Prohibition on installation of a Scheme

No user shall install a Scheme requiring usage of water without adhering to the requirements of section 10.

Registration for usage of water

9.

10.

No person shall install a Scheme, requiring usage of water or in any other way use the water, unless he/she is authorized to do so by a registration certificate, issued under section 10.

Grant of Registration Certificate

An user intending to use water (non consumptive use) for generation of electricity shall be issued a registration certificate after the execution of an agreement between the user and the Commission under the Act.

Registered User not to do certain things

11. No registered user shall without prior approval of Commission:

- (a) Undertake any transaction to acquire by purchase or takeover or otherwise, the utility of any other user; or
- (b) Merge his utility with the utility of any other user;
- (c) No user shall at any time assign his registration or transfer his utility or any part thereof by sale, lease, exchange or otherwise without the prior approval of the Commission.

Duties, obligations and responsibilitie s of the Registered User

- 12. (1) The registered user shall be liable to pay water tax for the water drawn for electricity generation as per the provisions of the Act.
 - (2) Where any user has constructed a Hydropower scheme, for purpose of generation of electricity, prior to the commencement of the Act, such user shall, within a period of six month from the date of commencement of the Act, apply for registration under the Act and the Commission shall pass an order to register the user within a period of six months from the date of receipt of application in accordance with the provisions of the Act.
 - (3) If the user as mentioned in sub-section (2) fails to apply or register within time stipulated therein, the Commission shall forthwith impose suitable penalty which may be enhanced in case of prolonged default.
 - (4) Every registered user shall be under an obligation to ensure the safety of the life and property of inhabitants of the area under the operation of the scheme.
 - (5) Every registered user shall be bound to allow the authority or any other officer authorized by authority to have access at any time to the scheme for their satisfaction.

Control and safety provisions

- 13. (1) The Commission may, by notice in writing given to the user require him to:-
 - (a) Cause periodic inspection carried out by an expert, to the satisfaction of the Commission and in accordance with the procedure and at such intervals, as the Commission may specify, for the Scheme;
 - (2) The user shall pay such fee and such other charges as the State Water Commission may fix in this behalf, to the State Water Commission for undertaking the following activities:-
 - (a) Periodical inspection of the scheme by the Commission or any other officer or expert empowered in the behalf;
 - (b) Any other activity performed or caused to be performed by the Commission under this section in relation to the scheme of the user.

CHAPTER-4 ASSESSMENT OF WATER DRAWN BY USER

Assessment of water drawn by user

- 14. (1) The Commission shall install or cause to be installed flow measuring device within the premises of Scheme or at such other place where the Commission deems fit for purposes of measuring the water drawn for electricity generation or may adopt any indirect method for assessment of water drawn by the user.
 - (2) The Commission may either install or, require a user to install a flow measuring device as per the specifications approved by the Commission at his premises or at his location or at such other place as the Commission may direct and thereafter adjust the expenditure incurred by such user on such installation towards the water Tax payable by the user.

Injuring the flow measuring device or any fitting

15.

No person shall willfully injure or cause to be injured, any device or any of the fittings of the device.

Fraud in respect of flow measuring devices

- 16. No person shall fraudulently or dishonestly-
 - (a) alter the index of any flow measuring device, or prevent any device from recording the actual quantity of water supplied; or
 - (b) extract or draw water before it has been recorded by the measuring device set up for the purpose of recording the same; or
 - (c) tamper the measuring device, install or use a tampered device; or
 - (d) use any other device or method which interferes with accurate or proper registration, calibration or metering of water supplied; or

CHAPTER-5

WATER TAX

Fixation of water Tax

- 17. (1) The user shall be liable to pay the Water Tax under the Act at such rates as the Government may by notification fix in this behalf.
 - (2) The State Government may review, increase, decrease or vary the rates of the Water Tax fixed under this section from time to time in the manner it deems fit.

Recovery of water Tax

The Commission shall recover water tax as per the rates fixed by the 18. State Government from every user whenever water is drawn by a user for generation of electricity.

Procedure for assessment

- 19. (1) The assessment of water drawn by the user for electricity generation and computation of water tax there of, shall be carried out by the Commission.
 - (2) The user shall pay the water Tax as assessed under sub-section (1) within such time as may be specified by the Commission.
 - (3) If any user fails to pay water Tax due on him, penalty shall be imposed on the user as determined by the Commission. The User has to pay Water Tax along with penalty within extended time as may be specified by the Commission. If the user again fails to pay Water Tax along with penalty within the extended time, the dues shall be recovered as arrears of land revenue.

CHAPTER-6

STATE COMMISSION FOR WATER TAX ON ELECTRICITY **GENERATION**

of Commission

Establishment 20. (1) The Government may, within three months from the date of commencement of the Act, by notification, establish an Commission to be known as the State Commission for tax on electricity generation to exercise the powers conferred on, and to

discharge the functions under this Act:

Provided that till the Commission is established under the section, the Principal Secretary/Secretary, Irrigation may exercise the powers and discharge the functions of the Commission under the Act.

- (2) The Commission established under sub-section (1) shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract and shall, be the said name, sue or be sued.
- (3) The Head Office of the Commission shall be at such place as the State Government fix in this behalf.
- (4) The Commission shall consist of a Chairperson and not more than two Members.
- (5) The Chairperson and Members of the Commission shall be appointed by the State Government on the recommendations of a search committee referred to in sub-section (1) of section 22.

Qualifications 21.
for
appointment
of
Chairperson
and Members
of the
Commission

- (1) The Chairperson shall be appointed from amongst persons who are either holding or have held a post not below the rank of Secretary to State Government and have adequate knowledge of, or experience in, or have shown capacity in dealing with, problems relating to engineering, finance, commerce, economics, law, administration or management.
- (2) The Members of the Commission shall be persons of ability, integrity and standing who have adequate knowledge of, or experience in, or have shown capacity in dealing with, problems relating to engineering, finance, commerce, economics, law or management:

Provided that at least one Member shall be from amongst the persons who are either holding or have held a post not below the rank of Chief Engineer or equivalent and having qualification and experience in the field of Hydropower Engineering.

- (3) The Chairperson or any Member of the Commission shall not hold any other office of the profit.
- (4) The Chairperson shall be the Chief Executive Officer of the Commission.

Constitution of a search Committee

- 22. (1) The Government shall, for the purposes of selecting the Chairperson and Members of the Commission, constitute a search committee consisting of-
 - (a) Chief Secretary

- Chairperson;
- (b) Principal Secretary/ Secretary

Finance, Uttarakhand Government

Member;

(c) Principal Secretary/ Secretary

Irrigation, Uttarakhand Government

Member;

(d) Principal Secretary/ Secretary

Power, Uttarakhand Government

Member;

(e) Principal Secretary/ Secretary

Law, Uttarakhand Government

- Member.

- (2) The Government shall, within one month from the date of occurrence of any vacancy by reason of death, resignation, or removal of the Chairperson or Member and six month before the superannuation or end of the tenure of the Chairperson or a Member make a reference to the search committee for filing up of the vacancy.
- (3) The search committee shall finalize the selection of Chairperson or the Members, within two months from the date on which the reference is made to it.
- (4) Before recommending any person for appointment as Chairperson or Member, the search committee shall satisfy itself that such person does not have any financial or other interest which is likely to affect prejudicially his function as such Chairperson or Member.

Term of
Office and
Conditions of
Service

3. (1) The Chairperson and other Members shall hold office for a term of three years from the date they enter upon their office:

Provided that no Chairperson or Member shall hold office after he has attained the age of 65 years:

Provided further that the Government may, at any time for the reasons recorded in writing and after giving an reasonable opportunity of being heard, determine term of the Chairperson or Member before he completes three years term or attain age of 65 years, as the case may be:

Provided further that the Government may suspend the Chairperson or any Member of the Commission in respect of whom an order determining the term is proposed to be passed or in the opinion of the Government there are just and sufficient reasons to suspend the Chairperson or the Member.

(2) The salary, allowances and other terms and conditions of service of the Chairperson and the Members shall be such as may be prescribed:

Provided that the salary, allowances and other terms and condition of service of the Chairperson and the Members shall not be varied to their disadvantage after appointment.

- (3) The Chairperson and Members shall, before entering upon their office, make and subscribe to an oath of office and secrecy in such form and in such manner and before such authority as may be prescribed.
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Chairperson or a Member may relinquish his office by giving in writing to the Government a notice of not less than three months.
- (5) The Chairperson or any Member ceasing to hold office as such shall -
 - (a) not be eligible for further appointment under the Government for a period of two years from the date he ceases to hold such office; and

(b) not accept any commercial employment for a period of two years from the date he ceases to hold such office.

Removal of Chairperson or Member

- 24. (1) The Chairperson or the Member shall cease to hold his office as such if he-
 - (a) has been adjudged as insolvent by the competent court; or
 - (b) has been convicted of an offence by the competent court.
 - (c) has become physically or mentally incapable of acting as such; or
 - (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his function in the Commission;
 - (2) Where a question arises as to if the Chairman or the member has become physically or mentally incapable of acting as such or has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his function in the Commission, the decision in this regard shall be taken by the Government and shall be final.

Officers and other Employees of the Commission

- 25. (1) The Commission shall have a Secretary to exercise such powers and perform such duties under the control of the Chairperson, as may be prescribed.
 - (2) The Secretary shall be appointed by the Government.
 - (3) The number, nature and categories of other officers and employees required to assist the Commission, to discharge its functions, shall be such as may be prescribed.
 - (4) The salaries and allowances payable to, and other term and conditions of the service of the Secretary, officers and other employees shall be such as may be prescribed.
 - (5) The Commission shall engage the engineers and other staff of State Government to assess the water drawn by users and other technical activities to assist the Commission to discharge its functions on the terms and conditions as may be prescribed.

Functions of the Commission

26.

- The Commission shall discharge the following functions; namely:
- (a) Enforce the decisions and orders issued under the Act
- (b) Adjudicate upon the disputes regarding Water Tax.
- (c) Ensure transparency while exercising the powers and discharging its functions;
- (d) Establish a system of enforcement, monitoring and measurement of water drawn for electricity generation;
- (e) Such other functions as may be prescribed.

Powers of the Commission

- 27. (1) The Commission shall for the purposes of making any inquiry or initiating any proceedings under the Act, have the same powers as are vested in a Civil Court, under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the following matters, namely,-
 - (a) summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;
 - (b) discovery and production of any document or other material object capable of being produced as evidence;
 - (c) receiving of evidence on affidavits;
 - (d) requisition of any public record;
 - (e) issuing commission for examination of witnesses;
 - (f) reviewing its decisions, directions and orders;
 - (g) any other matter which may be prescribed.
 - (2) The Commission shall have the powers to pass such interim order in any proceeding, hearing or matter before it, as it may consider appropriate.
 - (3) The Commission may authorize any person, as it may deem fit, to represent the interest of the registered users in the proceedings before it.

Proceedings before Commission

28. All proceedings before the Commission shall deem to be judicial proceedings and the Commission shall deem to be a Civil Court for the purposes of offences affecting the administration of justice under the Indian Penal Code, 1860.

Power of entry and seizure

29.

The Commission or any officer, not below the rank of Gazetted Officer specially authorized in this behalf by the Commission, may enter any building or place where the Commission has reason to believe that any document relating to the subject matter of the inquiry may be found, and may seize any such document or take extracts of copies there from subject to the provisions of Indian Penal Code.

Delegation

30. The Commission may, by general or special order in writing, delegate to the Chairman, any Member, Secretary, officer of the Commission or any other person subject to such conditions, if any, as may be specified in the order, such of its powers and functions under the Act, (except the powers to adjudicate disputes under clause (f) of sub-section (1) of section 26 and the powers to make regulations under section 48 as it may deem necessary.

Appeal to High Court

- 31. (1) Any person aggrieved by any decision or order of the Commission may file an appeal to the High Court.
 - (2) An appeal under sub-section (1) shall be preferred within ninety days from the date of communication of the decision or order of the Commission to the person aggrieved by such decision or order.

Penalty for noncompliance of directions of Commission

32.

If any complaint is filed before the Commission that any person has contravened any provisions of the Act, or if the Commission is satisfied that any person has contravened any of the provisions of the Act or the rules or regulations or any direction issued by the Commission has not been complied with, the Commission may after giving such person an opportunity of being heard in the matter, by order in writing, direct that, without prejudice to any other penalty to which he may be liable under the Act, such person shall pay, by way of penalty, such amount which shall be prescribed by the Commission for each contravention and in case of a continuing

failure to pay such penalty, with an additional penalty which may be levied as deemed fit by the Commission for everyday from the day such failure commences until he pays such penalty.

Power to adjudicate

- 33. (1) For the purpose of adjudicating under the Act, the Commission shall appoint any of its members to be an adjudicating officer for holding an inquiry in such manner as may be prescribed after giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard for the purpose of imposing any penalty.
 - (2) While holding any inquiry, the adjudicating officer shall have power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or produce any document which, in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for, or relevant to, the subject-matter of the inquiry, and if, on such inquiry, he is satisfied that the person has failed to comply with any provision of the Act, he may impose such penalty as he thinks fit in accordance with the provisions of the Act.
 - (3) Any person aggrieved by an order under sub-section (2) may, within thirty days of the order, prefer an appeal before the Commission:

Provided that the Commission shall not pass any order without affording reasonable opportunity to the other party or parties, as the case may be.

Factors to be taken in to account by adjudicating officer

34.

- While adjudicating the quantum of penalty under section 35, the adjudicating officer shall have due regard to the following factors, namely:-
- (a) the amount of disproportionate gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the default;
- (b) the repetitive nature of the default.

Penalty not to effect other liabilities

35.

36.

The penalties imposed under the Act shall be in addition to, and not in derogation of, any liability in respect of payment of compensation or, in the case of a user, the revocation of his registration which the offender may have incurred.

Grants and loans by the Govt.

The Government may, after due appropriation made by State Legislature in this behalf, make to the Commission grants and loans of such sums of money as the Government may consider necessary.

Establishmen t of fund by the Govt.

- 37. (1) There shall be a fund constituted to be called the Commission fund and that shall be credited thereto.
 - (a) any grants and loans made to the Commission by the Government;
 - (b) all fees received by the Commission under the Act;
 - (c) all sums received by the Commission from such other sources as may be decided upon by the Government.
 - (2) The fund shall be applied for meeting,-
 - (a) the salary, allowances and other remuneration of Chairperson, Members, officers and other employees of the Commission;
 - (b) the expenses of the Commission to discharge its function under the Act;
 - (c) the expenses on objects and for purposes authorized by the Act.
 - (3) The Government may prescribe the manner of applying the fund for meeting the expenses specified in clause (b) or clause (c) of subsection (2).

Accounts of Commission

- 38. (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed.
 - (2) The annual accounts and balance-sheet of the Commission shall be forwarded to the Government and the Government shall cause the same to be laid, as soon as may be after it is received, before the State Legislature.

Annual Report of the Commission

- 39. (1) The Commission shall prepare once every year, in such form and at such time as may be prescribed, an annual report giving a summary of its activities during the previous year and copies of the report shall be forwarded to the Government.
 - (2) A copy of the report received under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be after it is received, before the State Legislature.

Budget of the 40 Commission

The Commission shall prepare, in such form and at such time in each financial year as may be prescribed, its budget for the next financial year, showing the estimate receipts and expenditure of the Commission and forward the same to the Government.

Directions by the Government

- 41. (1) To discharge its functions, the Commission shall be guided by such direction in matters of policy involving public interest as the State Government may from time to time give to it in writing.
 - (2) If any question arises as to whether any such direction relates to a matter of policy involving public interest, the decision of the State Government thereon shall be final.

Protection of action taken in good faith

42.

43.

No suit, prosecution or other proceeding shall lie against the Government or the Commission or any officer of the Government, or any Member, officer or other employee of the Commission or any public servant for anything done or in good faith purporting to be done under the Act or the rules or regulations.

Members, officers, etc. to be public servants

The Chairperson, Members, officers and other employees of the Commission when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of the Act, shall be deemed to be public servant within the meaning of the Indian Penal Code, 1860.

Provisions of . 44. the act to be in addition to and not in derogation of other laws

The provisions of the Act are in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force in the State.

Powers of Government to make rules

- 45. (1) The Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of the Act.
 - (2) In particular and without prejudice to the generality of foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-
 - (a) the form and manner in which the agreement is to be executed under clause (b) of section 7;
 - (b) the form and manner of application and the fee to be paid for grant of registration certificate under section 10;
 - (c) the salary, allowances and other terms and conditions of service of the Chairperson and Members of the Commission under section 23;
 - (d) the form and manner in which and the authority before whom the Chairperson and Members shall make and subscribe oath under sub-section (3) of section 23;
 - (e) the powers to be exercised and duties to be performed by the Secretary of the Commission under sub-section (1) of section 25;
 - (f) the number, nature and categories of officers and employees of the Commission under sub-section (2) of section 25;
 - (g) the salaries, allowances and other terms and conditions of Secretary, officers and other employees of the Commission under sub-section (4) of section 25;
 - (h) the manner of applying the Commission Fund under subsection (3) of section 40; and
 - (i) any other matter which is required to be, or may be prescribed.

Powers of commission to make regulations

- 46. (1) The Commission may, with the prior approval of the Government make regulations consistent with the Act and the rules made thereunder generally to carry out the provisions of the Act.
 - (2) All regulations made by the Commission under the Act shall be subject to the condition of previous publication.

Rules and regulations to be laid before the State legislature

47.

Every rule made by the Government and every regulation made by the Commission shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature.

Power to remove difficulties

48. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of the Act, the Government may, by order published in the Government Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of the Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature.

By Order,

D. P. GAIROLA, Principal Secretary.